राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या–390/2016

सत्यनारायण सैनी **–प्रार्थी–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर सह जिला प्रोग्राम कोर्डिनेटर, मनरेगा, बूंदी।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी।
4. विकास अधिकारी कम सह प्रोग्राम ऑफिसर (ईजीएस) पंचायत समिति, केशवराय पाटन, जिला बूंदी।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.04.2024

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपलार्थी अप्रैल, 2007 से मई, 2010 तक ग्राम पंचायत बड़ाखेड़ा में ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत था। विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा पंचायत समिति केशोरायपाटन द्वारा आदेश दिनांक 04.12.2013 जारी किया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की जांच हेतु समिति गठित करायी जाकर अधिक राशि व्यय करने का दोषी मानते हुए वसूली के आदेश पारित किये गये, जिसमें अपीलार्थी से 72276/–रूपये वसूली योग्य होना पाया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। काम पुरा होने के साढे चार वर्ष बाद अपीलार्थी से वसूली की कार्यवाही की जा रही है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी को इस सम्बन्ध में सीसीए नियम 17 के तहत आरोप पत्र भी दिया गया, जिसका जवाब अपीलार्थी ने दे दिया है। सीसीए नियम 17 के तहत कोई कार्यवाही पूर्ण किये बिना ही अपीलार्थी से वसूली की कार्यवाही की जा रही है, जो उचित नहीं है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में ग्राम पंचायत बडा खेडा में ग्रेवल सडक निर्माण कार्य गेला से छोटू धोबी के रामछ हकडी की और तथा तलाई खुदाई एवं सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य गोबरी सागर तालाब बडाखेडा तथा खंरजा रोड निर्माण मय नाली खटीको के मोहल्ले से होकर कोलीयो के मोहल्ले बस्ती से होकर बैरवा बस्ती की तीन गेल एवं खटीको की और बडा खेडा एवं तलाई खुदाई एवं सरुक्षा दीवार

निर्माण कार्य रेबाडी मोहल्ला एवं चारागाह भुमि पर प्रथम ग्रेवल सडक निर्माण कार्य हिरामन से शमसान की ओर के कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत सम्पन्न हुई, जिसकी वास्तविक कार्य की जांच और जांच दल द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी से वुसली कार्यवाही प्रारम्भ की गई जो पुर्णतया विधिक होने से उक्त अपील निरस्त योग्य है। अपीलार्थी द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना मे पदीय दुरूपयोग और वित्तिय अनियमितताऐ कारित किये जाने के कारण गठित जांच दल की जांच रिपोर्ट तथा जिला कलेक्टर नरेगा के आदेश और माननीय लोकायुक्त महोदय राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देशो की अनुपालना में विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) पंचायत समिनि केशवराय पाटन द्वारा आदेश/नोटिस दिनांक 13.01.2016 जारी किय जाकर वुसली राशि रूपये 115488/– प्रस्तावित की गई उक्त वसुली पुर्णतया विधिसम्मत होने से अपीलार्थी की उक्त अपील मय कोस्ट मय काबिल निरस्त योग्य है।

3. दोनों पक्षों को अंतिम रूप से सुना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्यरूप से यह तर्क रहा है कि केवलमात्र जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी से वसुली की जा रही है, जबकि जांच के दौरान अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है न ही अपीलार्थी के विरूद्ध वसुली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया गया।

4. अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013(1) WLC (Raj.) 423 सागर मल जैन बनाम राजस्थान राज्य् प्रस्तुत किया गया है। जिसमें नरेगा के कार्यों में अनियमितता के कारण भुगतान की वसुली बिना सुनवाई का अवसर दिये किये जाना उचित नहीं माना है।

5. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांक को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी के वेतन से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये एवं पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात ही वसूली के संबंध में न्यायसंगत आदेश पारित किया जाये। तब तक वसुली की कार्यवाही नहीं की जाये। कोई राशि वसुल की गई हो तो उसे लौटाया जाये।

6. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)